न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 12/2022 राजस्व वाद
शांति लाल पुत्र श्री घीसा लाल गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– वादी

बनाम

1. कंकू पुत्री श्री धन्ना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गंगा पुत्री श्री धन्ना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. देऊ पुत्री श्री धन्ना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मांगू पुत्र श्री धन्ना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सुवा पुत्र श्री धन्ना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मेवाराम पुत्र श्री गिरधारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन, –अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय– प्रतिवादीगण
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक– 10.01.2023

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 06 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:18:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 184 मे आराजी नम्बर 1105/132 ग्यारह सौ पांच/एक सौ बत्तीस रकबा 0.7588 हैक्टयर भूमि मे वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) खातेदार का नाम– वादी– शांति लाल पुत्र घीसा लाल गुर्जर साकिन देह के नाम पर –।

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1105/132/1	0.0656
2.	1105/132/4	0.0656
योग	कुल किता 02	0.1312 हैक्टयर

(2) खातेदारान– प्रतिवादी– सुवा पुत्र श्री धन्ना 856/1265 गुर्जर सा.देह , (2) कंकू पुत्री धन्ना 409/2530 गुर्जर (3) देऊ पुत्री धन्ना 409/2530 गुर्जर सा.देह के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1105/132/3	0.1265
योग	कुल किता 01	0.1265 हैक्टयर

(3) खातेदारान– प्रतिवादी– श्रवण लाल पुत्र भोजाराम गुर्जर सा.देह के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1105/132/2	0.0632
योग	कुल किता 01	0.0632 हैक्टयर

(4) खातेदार 1. मांगु पुत्र पन्ना 1536/4379 गुर्जर सा. देह
2. गंगा पुत्री धन्ना 354/4379 गुर्जर सा. देह
3. मेवाराम पुत्र गिरधारी 2489/4379 गुर्जर सा. मोटा का खेड़ा के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1105/132/5	0.4379
योग	कुल किता 01	0.4379 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:18:34 IST
Reason: Self Attested

(हस्ताक्षर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)